संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991

THE CONSTITUTION (SIXTY NINTH AMENDMENT) ACT, 1991

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991

(21 दिसम्बर, 1991)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए नियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–**

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (उनहत्तरवां संशोधन), अधिनियम 1991 है।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नए अनुच्छेद 239 कक और अनुच्छेद 239 कख का अन्तःस्थापन–

2. संविधान के अनुच्छेद 239 क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :–

239 कक दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

(1) संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ से, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया है) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उपराज्यपाल होगा।

(2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधान सभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जायेंगे।

(ख) विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन (जिसके अन्तर्गत ऐसे विभाजन का आधार है) तथा विधान सभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, किया जाएगा।

(ग) अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य

1 उपर्युक्त अधिनियम 1 फरवरी, 1992 से प्रवृत्त हुआ। (भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2 खण्ड–3 उपखण्ड–2 दिनांक 31 जनवरी, 1992

THE CONSTITUT

An Act furt

BE it enacted by Pa
as follows:-

1. Short title and c
239 AB:

(1) This Act m
ment) Act,

(2) It shall co
ment may

2. After article 23
inserted namely

239AA Spe

(1) As from the da
Amendment) Act, 1
National Capital Terr
National Capital Ter
article 239 shall be

(2) (a) There sha
Territory of
members o
in the Nati

(b) The total n
of seats re
Capital Ter
for such di
of the Leg
Parliament

(c) The provisi

*Came into force on 1-2-
1992.

क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में "समुचित विधान–मंडल" के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश है।

(3) (क) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में, जहाँ तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है, सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।

(ख) उपखण्ड (क) की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के सम्बन्ध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।

(ग) यदि विधान सभा द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के सम्बन्ध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वतर विधि के, जो विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, दोनों दशाओं में यथास्थिति, संसद द्वारा बनाई गई विधि, या ऐसी पूर्वतर विधि, अभिभावी होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी :

परन्तु यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में अभिभावी होगी :

परन्तु यह और कि इस उपखण्ड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अन्तर्गत ऐसी विधि है जो विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे उन बातों को छोड़कर, उपराज्यपाल को, उन विषयों के

to the Nat
National C
in relation
members t
and 329 t
reference

(3) (a) Subject to
Assembly
of the Nati
enumerate
any such
with respe
65 and 66
1,2 and 18

(b) Nothing in
Parliament
matter for

(c) If any prov
respect to
by Parliam
or after the
law, other
either case
such earlie
Assembly

Provi
Assembly
and has r
Capital Ter

Provi
Parliament
same matt
repealing t

(4) There shall be
percent, of the
with the Chief

संबंध में जिनकी बाबत विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि–परिषद् होगी जो विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगाः

परन्तु उपराज्यपाल और उसके मन्त्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में, उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में, जहाँ वह विषय, इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए उसकी राय में, इतना आवश्यक है वहाँ, उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निर्देश देने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सक्षम होगा।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

(6) मंत्रि–परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) (क) संसद, पूर्वगामी खण्डों को प्रभावी करने के लिए, या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिए और उनके आनुषंगिक या पारिणामिक सभी विषयों के लिए, विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।

[1](ख) उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

(8) अनुच्छेद 239 ख के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, उप–राज्यपाल और विधान सभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासक और उसके विधान मंडल के संबंध में लागू होते हैं, और अनुच्छेद में उस 'अनुच्छेद 239 क के खण्ड (1)' के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 कख के प्रति निर्देश है।

---

1. संविधान (सत्तरवां संशोधन) 1992 की धारा–3 द्वारा (21–12–1992 से) अन्तःस्थापित

Governor in the
respect to whic
except in so fa
discretion:

Provide
Lieutenant Gov
Governor shall
to the decision
decision it shall
where the matte
to take immedia
in the matter a

(5) The Chief Minis
Ministers shall b
Minister and th
President.

(6) The Council o
Legislative Ass

(7) (a) Parliament
supplemen
for all mat

*(b) Any such l
to be an a
368 not wi
or as the

(8) The provisions
to the Nationa
Legislative Asse
Pondicherry, the
reference in tha
to be a referen

* Inserted by Section 3 o
1991).

239कख सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

यदि राष्ट्रपति का, उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि :–

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239 कक के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 कक के उपबन्ध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।''

Provisions in case

239AB. If t
Governor or otherwi

(a) that a
Nation
with th
pursua

(b) that fo
Territor
may by
239 A
pursua
conditi
incider
to be
Capita
and ar